न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
5/5/2022	12.05.2022	18.05.2022

बउनवान

1–बुद्धन खान पुत्र श्री बदरू जाति मेव आयु करीब 52 साल निवासा ग्राम चादंकी तहसील व जिला अलवर

––– अपीलाण्ट

बनाम

1–सरपंच ग्राम पंचायत तलेडा तहसील व जिला अलवर

––– रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व आज्ञा इन्तकाल संख्या
2528 दिनांक 12.01.2022 ग्राम पंचायत तुलेडा

: निर्णय :

अपीलाण्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट की खातेदारी की आरांजी खसरा नंबर 109, 170, 219, 231 वाके ग्राम तुलेडा तहसील अलवर जिला अलवर मे स्थित है। जिस आराजी का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी म० चन्दर पुत्र दल्ला मेव साकिन चान्दूकी तहसील व जिला अलवर के नाम बहिस्सा 1/6 दर्ज चली आ रही थी इस प्रकार उक्त आराजी अपीलाण्ट की खातेदारी की आराजी है जिस पर झग्गड खॉ पुत्र चन्दर, निज्जू खॉ पुत्र चन्दर मेव, फजरू खॉ पुत्र चन्दर मेव, मैना पुत्री चन्दर मेव जाति मेव निवासीयान ग्राम चान्दूकी तहसील व जिला अलवर के पिता के स्वर्गवास होने जाने के कारण तथा शामलाती काश्तकारी खातेदारी का राजस्व रिकार्ड होने के कारण उनके द्वारा उक्त आराजी का राजस्व रिकार्ड का इन्तकाल स्वंय के नाम दर्ज कराने हेतु रैस्पोडेण्ट के कार्यालय मे आवेदन किया गया जिस पर रैस्पोडेण्ट तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचयत तुलेडा अलवर द्वारा आवेदन पर कार्यवाही करते हुए इन्तकाल संख्या 2528 दिनांक 12.01.2022 को स्वीकार किया गया विवादित इतन्क़ाल संख्या 2528 को दर्ज करते समय रैस्पोडेण्ट द्वारा कतई गौर नहीं करते हुए मनमाने तरीका से अपीलाण्ट का नाम बुद्धन पुत्र बदरू के स्थान पर बुद्धन पुत्र चन्दर अंकित कर दिया जबकि अपीलाण्ट द्वारा अपने स्वंय के समर्थन मे प्रस्तुत दस्तावेज मे अपीलाण्ट का नाम बुद्धन पुत्र बदरू दर्ज है किन्तु इस तथ्य पर गौर नहीं करते हुए अपीलाण्ट का नाम बुद्धन पुत्र बदरू के स्थान पर बुद्धन पुत्र चन्दर दर्ज किया गया है जो संशोधित किये जाने योग्य है। किन्तु इस तथ्य पर पर गौर नहीं करते हुए अपीलाण्ट का नाम बुद्धन पुत्र बदरू के स्थान पर बुद्धन पुत्र चन्दर दर्ज किया गया है जा संशोधित किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट के सभी दस्तावेजी रिकार्ड मे अपीलाण्ट का नाम बुद्धन पुत्र बदरू दर्ज है किन्तु रैस्पोडेण्ट द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं कर विवादित इन्तकाल मे अपीलाण्ट क नाम बुद्धन पुत्र बदरू के स्थान पर बुद्धन पुत्र चन्दर दर्ज किया गया है

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत तुलेडा तहसील व जिल अलवर द्वारा स्वीकार किये गये इन्तकाल संख्या 2528 दिनांक 12. 2022 मे अपीलाण्ट का नाम संशोधित किया जाकर बुद्धन पुत्र चन्दर के स्थान पर बुद्धन पुत्र बदरू दर्ज किये जाने तथा उसी आधार पर राजस्व रिकार्ड मे नाम संशोधित किये जाने की आज्ञा सादिर फरमाने की कृपा करे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जर्ये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की रजिस्टर्ड तलवी होने के उपरान्त अपीलान्ट हाजिर अदालत नही आयें। वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात जमाबन्दी सवंत 2069–2074 ग्राम चांदोली के खाता संख्या 101 खसरा नंबर 280 पर अपीलान्ट का नाम बुद्धन खां पुत्र बदरू का अंकन हैं। जमाबन्दी संवत 2069–2074 ग्राम तुलेडा खाता संख्या 164 खसरा 170 पर प्रार्थी का नाम बुद्धन पुत्र चन्दर का अंकन है। इसी प्रकार जमाबन्दी संवत 2069–2074 ग्राम तुलेडा खाता संख्या 163 खसरा 109 पर प्रार्थी का नाम बुद्धन पुत्र चन्दर का अंकन है। अपीलान्ट द्वारा पूर्व में धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र तहसीलदार अलवर के समक्ष पेश किया है। जिसके पत्रादि अपील के साथ पेश किये है। जिसमें पटवारी हल्का रायबका नें जांच वारिसान करते समय ग्राम वासीयों के बताये अनुसार खातेदार बुद्धन पुत्र बदरू जाति में के स्थान पर बुद्धन पुत्र चन्दर का अंकन हो गया जिसे दुरूस्त करने की अनुशंषा की। संलग्न दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण में यह पाया गया है, कि विरास्त इंतकाल दर्ज करते समय अपीलान्ट को नही सुनकर ग्रामवासीयान के बताये अनुसार इंतकाल दर्ज किया गया है। जो प्रथम द्रष्टया अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है।

तहत पारित आलोच्य आदेश ग्राम पंचायत तुलेडा इंतकाल संख्या 2528 दिनांक 12.01.2022 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है,कि अपीलान्ट का नाम बुद्धन पुत्र चन्दर के स्थान पर बुद्धन पुत्र बदरू दुरूस्त किया जाकर पुनः इन्तकाल दर्ज करने की कार्यवाही करें।

उपखण्ड अधिकारी
(प्यारे लाल सोठवाल)
अलवर
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 12.05.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर